



बिहार राज्य निर्वचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फॅक्स नं. : 2231562, वेबसाईट: <http://bsea.bihar.gov.in>, ई-मेल: bseapatna@gmail.com

पटना / दिनांक 20/03/2023

अधिसूचना

संख्या-नि. प्रा./ नि. 1-68/ 2022 579... चूँकि बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) में निहित प्रावधान के अनुसार बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के तहत निबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के बोर्ड, जिनका निर्वाचन देय है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. और चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न अनुलग्नक- 1 में अंकित 60 स्वाबलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के बोर्ड/ निदेशक पर्वद का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) की धारा-7 तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा कंडिका-4 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार 60 स्वाबलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित निर्वाचन योग्य पदों के निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 19.04.2023 (बुधवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या-403 दिनांक 22.02.2023 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि 31.01.2023 निर्धारित की गयी थी एवं तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 18.03.2023 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

4. उक्त स्वाबलंबी सहकारी समितियों के बोर्ड/ निदेशक पर्वद के निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है:-

क्र०	निर्वाचन के प्रक्रम	तिथि
(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र- ई 1 में सूचना का प्रकाशन	23.03.2023 (गुरुवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	06.04.2023 (गुरुवार) एवं 08.04.2023 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	10.04.2023 (सोमवार) एवं 11.04.2023 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	12.04.2023 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	19.04.2023 (बुधवार) 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	19.04.2023 (बुधवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	21.04.2023 (शुक्रवार)

5. निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाइट—<http://bsea.bihar.gov.in> पर ऑनलाईन के माध्यम से विभिन्न अवधियों में निम्न सूचनाओं को प्रविष्ट किया जाना तथा अंतिम मतदाता सूची को अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यदि निम्न सूचनाओं की प्रविष्टि नहीं की जायेगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा:—

क्र०	सूचना प्रविष्टि/ अपलोड किये जाने का समय	प्रविष्टि/ अपलोड किये जाने वाली सूचना
i.	सूचना के प्रकाशन की तिथि के तुरंत पश्चात्	ई०-1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं (हाँ अथवा नहीं में), की सूचना को प्रविष्टि करना है।
ii.	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात्	निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या को प्रविष्टि करना है।
iii.	मतदान के दिन विभिन्न अवधियों में	मतदाताओं द्वारा दिये गये मतों की संख्या (मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वतः ही कर लिया जायेगा), को प्रविष्टि करना है।
iv.	निर्वाचन परिणाम के अगले दिन तक	निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर युक्त सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूची (प्रपत्र-18) को अपलोड करना एवं तदोपरांत उसे प्राधिकार के ई-मेल bseapatna@gmail.com पर भेजना है।
v.	मतगणना के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर	पब्लिक डोमेन में सुरक्षित रखने हेतु अद्यतनीकरण के पश्चात् की अंतिम मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है) को प्राधिकार के पत्रांक-469 दिनांक 25.02.2021 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप स्कैन कर प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड करना है।

6. प्रपत्र ई०-1 में सूचना के प्रकाशन की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाइट पर निर्धारित समय पर नहीं किये जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात् निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या की प्रविष्टि नहीं किये जाने की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए निर्धारित तिथि के तीन दिनों के पश्चात् संबंधित समिति का चुनाव प्राधिकार द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन सूचनाओं के अभाव में संबंधित समिति का चुनाव स्थगित किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके लिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और इसके लिए उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायेगी।

7. बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) द्वारा बिहार अधिनियम 2, 1997 की धारा-26 में किये गए संशोधन के आलोक में बोर्ड के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- (i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।
- (ii) स्वाबलम्बी सहकारी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।
- (iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या बोर्ड के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

- (iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली रहेंगे।
- (v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर संघ की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे।
- (vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर बोर्ड में जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे।
- (vii) जिन समितियों में निर्वाचित होने वाले पदों की संख्या 12 (बारह) से कम होगी, उनमें निबंधक, सहयोग समितियों के पत्रांक- 4992 दिनांक 01.11.2013 के आलोक में पदों की संख्या 12 (बारह) मानकर एवं तदनुसार उपर वर्णित आरक्षण के प्रावधानों को लागू कर निर्वाचन संपन्न कराया जायेगा।

8. अनुलग्नक- 1 में अंकित समितियों में कई समितियाँ केवल महिलाओं की है। अतः महिला समिति में महिलाओं के लिए अलग से पदों को आरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। निर्वाचन पदाधिकारी बोर्ड के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न प्रपत्र-ई. 1 में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक 23.03.2023 (गुरुवार) को प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

9. जिन स्वावलम्बी समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को प्रपत्र-ई. 3 में विधिमान्यतः नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई. 18 में पूर्ण सूचनायें उन्हीं तिथियों को फैक्स (0612-2231562) अथवा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

10. निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्) को प्राधिकार के वेबसाइट पर एक सप्ताह के अंदर अपलोड किया जाना है। इससे संबंधित प्राधिकार के पत्रांक 469 दिनांक 25.02.2021 एवं पत्रांक 530 दिनांक 03.03.2021 तथा इस पत्र के साथ संलग्न दिशा-निर्देश सभी पदाधिकारियों को पूर्व में भी संसूचित किया जा चुका है। ये पत्र प्राधिकार के वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

11. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिकोण से प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02.07.2020 द्वारा 700 मतदाताओं के बजाय 450 मतदाताओं पर मतदान केन्द्र बनाने के लिये गये निर्णय को संशोधित करते हुए पूर्व की भाँति 700 मतदाताओं पर एक मतदान केन्द्र रखने का निर्णय लिया गया है। मतदान के समय भीड़-भाड़ से बचने हेतु मतदान का समय भी विस्तारित करके 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक किया गया है। मतदान के समय के संबंध में प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02.07.2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

12. समिति के चुनाव क्षेत्र के किसी भी हिस्से को दिनांक 23.03.2023 के बाद यदि कंटेन्मेंट जोन घोषित किया जाता है या पूर्व से घोषित कंटेन्मेंट जोन की अवधि दिनांक 23.03.2023 के बाद समाप्त हो रही हो, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित समिति के चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर देंगे एवं इसकी घटनोत्तर स्वीकृति प्राधिकार से प्राप्त करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से या किसी अन्य कारण से भी किसी समिति के चुनाव को स्थगित करने की स्थिति बनती है, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को इसकी अनुशंसा कर अनुमोदन प्राप्त करेंगे। यदि पूर्व से घोषित मतदान केन्द्र कंटेन्मेंट जोन के अन्तर्गत आ जाते हैं, तो निर्वाचन पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अनुमोदन से मतदान केन्द्र बदल देंगे और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे।

13. कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर कोरोना संक्रमण से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अद्यतन निरोधात्मक उपायों एवं सामान्य मानक प्रक्रिया का ध्यान रखेंगे तथा यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो एवं सामाजिक दूरी रहे। पवित्रबद्ध होने की स्थिति में एक-दूसरे के बीच मानक दूरी बनाये रखा जाय तथा मतदाताओं के हाथ को हैंड सेनिटाईजर/ साबुन पानी से साफ किये जाने आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय। मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए संलग्न परिशिष्ट में अंकित व्यवस्थाएँ भी सुनिश्चित की जाएगी। हैंड सेनिटाईजेशन/ साबुन-पानी से हाथ साफ कराने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी एक अतिरिक्त कर्मी की व्यवस्था करेंगे, जिसके भुगतान के लिए प्राधिकार द्वारा राशि का आवंटन किया जाएगा।

14. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 21.04.2023 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश "सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका" के पृष्ठ 122-129 पर देखे जा सकते हैं।

अनुलग्नक: यथोक्त।


 (पुरुषोत्तम पासवान)
 सचिव।

ज्ञापांक : 579

पटना / दिनांक 20/03/2023

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ज्ञापांक : 579

पटना / दिनांक 20/03/2023

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी/ संबंधित पुलिस अधीक्षक/ संबंधित अपर समाहर्ता/ संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त से अनुरोध है कि पैक्स चुनाव की भाँति इस चुनाव में भी दिनांक 01.04.2023 तक कृपया अपने स्तर से पर्यवेक्षक (Observer) की नियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्त प्रतिवेदन पर प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा मतदान की अवधि 07:00 बजे पूर्वाह्न से 02:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित की जा सकती है।

3. सभी संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.) से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियाँ अपने स्तर से भी ससमय संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

ज्ञापांक : 579

पटना / दिनांक 20/03/2023

प्रतिलिपि: संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित समिति की उपविधि दिनांक 21.03.2023 तक निश्चित रूप से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.) को उपलब्ध करा देने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा उपविधियों के आधार पर जिन-जिन पदों के लिए निर्वाचन कराया जाना है, उसका विवरण भी अधिसूचना में निहित निदेशों के अनुसार आरक्षित पदों की स्थिति सहित निर्वाचन पदाधिकारी को लिखित रूप में उपलब्ध करा देंगे।

ज्ञापांक : 579


पटना / दिनांक 20/03/2023

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

ज्ञापांक : 579

पटना/ दिनांक 20/03/2023

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी -सह- राज्य मिशन निदेशक, जीविका/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव।

ज्ञापांक : 579

पटना/ दिनांक 20/03/2023

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषाग/ सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा- 2 (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूम बनाने का आदेश निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।


सचिव।

निर्वाचन हेतु स्वावलंबी सहकारी समितियों की सूची:-

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	स्वावलंबी समिति का नाम	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4.	5.
1	बेगूसराय	बरौनी	प्रतिज्ञा जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०	
2	बेगूसराय	खोदावन्दपुर	नारी शक्ति जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०	
3	बेगूसराय	बखरी	क्रांति जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०	
4	बेगूसराय	बेगूसराय	विजेता जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०	
5	बेगूसराय	बलिया	गंगासागर जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०	
6	बेगूसराय	वीरपुर	भारत जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०	
7	बेगूसराय	मटिहानी	परिवर्तन जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०	
8	बेगूसराय	मंसूरचक	भविष्य जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०	
9	मुजफ्फरपुर	मुशहरी	मौसम जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०	
10	मुजफ्फरपुर	मुशहरी	उत्तम जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०	
11	मुजफ्फरपुर	बोचहाँ	फूलमाला जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०	
12	मुजफ्फरपुर	सरैया	क्रांति जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०	
13	मुजफ्फरपुर	सकरा	आनन्द जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०	
14	मुजफ्फरपुर	मुशहरी	सर्वोत्तम जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०	
15	अररिया	नरपतगंज	मिरदौल प्राथमिक कृषक सेवा स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०	
16	भोजपुर	तरारी	सहयोगी नारी शक्ति महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०	
17	समस्तीपुर	समस्तीपुर	कोरबद्धा जन कल्याण साख एवं बचत स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०	
18	सारण	छपरा	सारण जिला कृषक सेवा स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०	
19	सारण	एकमा	गौसपुर कृषक सेवा स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०	
20	सुपौल	मरौना	शिवगुरु महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०	
21	सुपौल	निर्मली	परिवर्तन जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०	
22	सुपौल	राघोपुर	नारीचेतना जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०	
23	सुपौल	सरायढ़-भ0	आस्था जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०	
24	सुपौल	किशनपुर	समर्पण जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०	
25	सुपौल	पिपरा	नई दिश जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०	
26	सुपौल	सुपौल	क्षितिज जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०	
27	मुजफ्फरपुर	मुशहरी	संगम जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०	
28	मुजफ्फरपुर	मड़वन	जय हिन्द जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०	
29	मुजफ्फरपुर	मीनापुर	भारत जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०	
30	भागलपुर	नाथ नगर	सिल्क सिटी विभर्स सेल्फ सपोर्टिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी लि0	
31	भागलपुर	नाथनगर	मीरा कृषि स्वावलंबी सहकारी समिति लि0	
32	भागलपुर	नाथनगर	माँ दुर्गा कृषक स्वावलंबी सहकारी समिति लि0	

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	स्वावलंबी समिति का नाम	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4.	5.
33	भागलपुर	जगदीशपुर	कृषि स्वावलंबी सहकारी समिति लि०	
34	भागलपुर	जगदीशपुर	चमेलीचक कृषक सेवा स्वावलंबी सहकारी समिति लि०	
35	भागलपुर	जगदीशपुर	कल्याणी महिला स्वावलंबी सहकारी समिति लि०	
36	भागलपुर	जगदीशपुर	बिसहरी महिला स्वावलंबी सहकारी समिति लि०	
37	भागलपुर	जगदीशपुर	श्री ब्रम्हा कृषि स्वावलंबी सहकारी समिति लि०	
38	वैशाली	हाजीपुर	जीवन दायनी आदर्श महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०	
39	दरभंगा	सिंहवारा	ग्रामीण धन संचय साख स्वावलंबी सहकारी समिति लि०	
40	औरंगाबाद	ओबरा	संगम स्वयं सिद्ध महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०	
41	औरंगाबाद	नबीनगर	बारा कृषक सेवा स्वावलंबी सहकारी समिति लि०	
42	सुपौल	छातापुर	गरिमा जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०, घीबहा	
43	सुपौल	बसंतपुर	पंचमुखी जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०, रतनपुर	
44	सुपौल	प्रतापगंज	अन्नपूर्ण जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि० सूखानगर	
45	औरंगाबाद	दाउदनगर	नारीशक्ति जीविका महिला विकास विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०	
46	औरंगाबाद	देव	भाष्कर जीविका महिला विकास विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०	
47	औरंगाबाद	हसपुरा	तिरंगा जीविका महिला विकास विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०	
48	औरंगाबाद	हसपुरा	भारत जीविका महिला विकास विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०	
49	औरंगाबाद	हसपुरा	मिलन जीविका महिला विकास विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०	
50	औरंगाबाद	कुटुम्बा	नारी जीविका महिला विकास विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०	
51	औरंगाबाद	कुटुम्बा	अम्बे जीविका महिला विकास विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०	
52	औरंगाबाद	मदनपुर	उज्ज्वल जीविका महिला विकास विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०	
53	औरंगाबाद	नवीनगर	हिमालय जीविका महिला विकास विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०	
54	औरंगाबाद	नवीनगर	भारत जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०	
55	औरंगाबाद	ओबरा	तिरंगा जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०	
56	औरंगाबाद	रफीगंज	एकता जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०	
57	औरंगाबाद	बारूण	जागृति महिला स्वावलंबी सहकारी समिति लि०	
58	शिवहर	पुरनहिया	रीतू जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०	
59	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	कल्याणपुर	समृद्धि किसान उत्पादक संगठन सहकारी समिति लि०	
60	नालंदा	बिहार शरीफ	शक्ति जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०	

प्रपत्र- ई-1

सूचना का प्रपत्र

जिला, प्रखंडके अन्तर्गत.....(समिति का नाम) के अध्यक्ष एवं प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक.....को किया जाना है,

मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद् द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1	2

(ii) अध्यक्ष/ सचिव के पद को छोड़कर आरक्षित एवं अनारक्षित सभी कोटियों में अलग-अलग पदों की कुल संख्या के 50% के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50% से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं पद सम्बन्धित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। किसी कोटि में महिला सदस्य नहीं रहने की स्थिति में ये पद रिक्त रहेंगे।

(iii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय..... (स्थान का नाम) अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में.....(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) को (स्थान का नाम) पर दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र दिनांक(नामांकन पत्र दाखिला की तिथि) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक.....तक बजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(v) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को..... (स्थान का नाम) पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं लगातार चलती रहेगी।

(vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को अपराह्न बजे के पूर्व तक (स्थान का नाम) पर दाखिल की जा सकती है।

* (vii) प्रपत्र-ई 6 तथा प्रपत्र- ई 7 जारी किये जाने के पश्चात् विधिमान्य अभ्यर्थियों को प्रतीक आवंटन किया जाएगा।

(viii) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को निर्माकित मतदान केन्द्र/ केन्द्रों पर 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा:-

मतदान केन्द्र संख्या

मतदान केन्द्र का नाम

(1)

(2)

(3)

(ix) मतगणना दिनांककोबजे से (स्थान का नाम) में की जायेगी। सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को मतगणना केन्द्र के स्थान की सूचना ससमय उपलब्ध करा दी जायेगी।

स्थान -

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

*जो लागू न हों, उसे काट दें।

मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए की जाने वाली

व्यवस्थाएँ:-

1. मतदान केन्द्र को मतदान के एक दिन पूर्व सेनेटाईज किया जाएगा। बैलेट बॉक्स एवं सेनेटाईज करने योग्य अन्य सामग्रियों को भी सेनेटाईज किया जाएगा।
2. मतदान केन्द्र पर कार्यरत मतदान कर्मियों एवं सुरक्षा कर्मियों के लिए मास्क एवं डिस्पोजेबल ग्लब्स उपलब्ध कराये जाएँगे।
3. मतदान केन्द्र परिसर में मतदाता के प्रवेश के वक्त ही उनके हाथों को साबुन-पानी से धोने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए एक प्लास्टिक की बाल्टी, मग एवं साबुन की व्यवस्था की जाएगी।
4. मतदान केन्द्र परिसर में प्रवेश के वक्त प्रत्येक मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।
5. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक मतदाता मास्क अथवा गमछा या अन्य कपड़े से मुँह-नाक ढके हों। केवल मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने हेतु इसे हटाया जा सकेगा। उस वक्त भी मतदान केन्द्र में उपस्थित सभी व्यक्तियों से मतदाता को कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखना जरूरी होगा।
6. मतदान केन्द्र पर लगने वाली कतार में सामाजिक दूरी का पालन हो सके, इसके लिए कम-से-कम एक मीटर की दूरी पर गोल घेरा बनाया जाएगा, जिसमें मतदाता खड़े होंगे।
7. मतदान हेतु कमरे में प्रवेश करते वक्त प्रत्येक मतदाता के हाथों को हैंड सेनेटाईजर से सेनेटाईज किया जाएगा।
8. वोटिंग स्टीक को पकड़ने के लिए टिश्यू पेपर की व्यवस्था की जाएगी। वोटिंग करने के पश्चात् मतदाता द्वारा इस्तेमाल की गई टिश्यू पेपर को डस्टबीन में डाल दिया जाएगा। इसे अन्यत्र नहीं फेंका जाएगा।
9. मतदान के पश्चात् कमरे से बाहर निकलने वाले मतदाताओं के हाथों को हैंड सेनेटाईजर से पुनः सेनेटाईज किया जाएगा।
10. पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान कर्मी द्वारा भी मतपत्र देने में नियमानुकूल सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा।
11. मतदान कार्य समाप्ति के पश्चात् मतदान कर्मी डिस्पोसेबल ग्लब्स/ मास्क एवं प्रयुक्त टिश्यू पेपर इत्यादि का सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप डिस्पोजल कराएँगे। जिला पदाधिकारी इसके लिए सिविल सर्जन के माध्यम से व्यवस्था कराएँगे।
12. मतदान केन्द्र पर उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निरोधात्मक उपायों एवं सामान्य मानक प्रक्रिया का भी ध्यान रखा जाएगा।